

4607/30.11.2010

बिहार सरकार ✓

ऊर्जा विभाग

वित्त विभाग द्वारा
अनौपचारिक रूप
से परामर्शित।

पत्रांक - प्र02/बोर्ड-विविध-35/10 4607

पटना, दिनांक - 30/11/10

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय:-

टेहटा (जहानाबाद) एवं इमामगंज (गया) में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के 132/33 के0भी0 ग्रिड एवं संबंधित संचरण लाईन के निर्माण की 51.20 (एकवान करोड़ बीस लाख) करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को वित्तीय वर्ष 2010-11 में 1 (एक) करोड़ रुपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश:

स्वीकृत।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण, निमित्त संचरण की संरचना में व्यापक विस्तार हो रहा है। संचरण प्रणाली में बढ़ते हुए विद्युत मांग के आलोक में टेहटा (जहानाबाद) एवं इमामगंज (गया) में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के 132/33 के0भी0 ग्रिड एवं संबंधित संचरण लाईन के निर्माण की योजना की स्वीकृति हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा अनुरोध किया गया है। टेहटा (जहानाबाद) में ग्रिड सब स्टेशन एवं पटना-गया 132 के0भी0 संचरण लाईन से जोड़ने हेतु LILO व्यवस्था के निर्माण के लिए 18.60 करोड़ रुपये आकलित की गई है। इसी प्रकार इमामगंज (गया) में ग्रिड सब स्टेशन एवं इमामगंज-शेरघाटी संचरण लाईन के निर्माण के लिए 32.60 करोड़ रुपये आकलित की गई है। अतः इस योजना की कुल लागत 51.20 करोड़ रुपये है।

2. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 में टेहटा (जहानाबाद) एवं इमामगंज (गया) में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के 132/33 के0भी0 ग्रिड एवं संबंधित संचरण लाईन के निर्माण की 51.20 (एकवान करोड़ बीस लाख) करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को वित्तीय वर्ष 2010-11 में 1 (एक) करोड़ रुपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

3. चूंकि यह राशि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, अतः वित्त विभाग के परिपत्र संख्या F/4/3881 दिनांक 07.07.1989 के अनुसार पुराने बकाये ऋण एवं सूद मद में 25 प्रतिशत की कटौती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय स्थिति को देखते हुए नहीं करने की छूट प्रदान की जाती है।

ऋण की अन्य शर्तें निम्न प्रकार होंगी :-

(क) ऋण एवं सूद का भुगतान 10(दस) बराबर वार्षिक किस्तों में होगा। इसकी पहली किस्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारम्भ होगी।

(ख) इस राशि पर 13 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।

(ग) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत की दर से विलम्ब दण्ड सूद देय होगा।

(घ) समय पर भुगतान करने पर ब्याज दर में 1/4 (चौथाई) प्रतिशत

4. यह राशि मुख्य शीर्ष 6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज-उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-800 विद्युत बोर्डों के लिए अन्य कर्ज-उप शीर्ष-0101 बिहार राज्य विद्युत पर्वत को ऋण-राज्य योजना मांग सं०-10 विपत्र कोड-पी. 6801008000101 विषय शीर्ष-55 01 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर उसका भुगतान बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को किया जायेगा।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. राज्यादेश में वित्त विभाग के यू०ओ०आर० संख्या 447ब०3 दिनांक-30.8.2010 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक दिनांक

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 4607 दिनांक 30/11/10

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रशाखा-8 वित्त विभाग/ मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना / बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/ लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/सदस्य वित्त, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/ सचिव, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/उप लेखा निदेशक (मुख्यालय), बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/11/10

सरकार के संयुक्त सचिव,
ऊर्जा विभाग

3427
18/8/10

3427

विद्युत निगम ने धारा

अनापचारिक

रूप से

प्रस्तुत किया।

महोदय (लेखा एवं हक)

बिहार-वीरचन्द-गटेल मार्ग, पटना।

विषय: वैशाली जिला अन्तर्गत जन्दाहा प्रखण्ड को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जन्दाहा में 132/33 के0मी0 ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण के लिए राज्य योजना से 25 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को वित्तीय वर्ष 2010-11 में 5 (पाँच) करोड़ रुपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

वैशाली जिला अन्तर्गत जन्दाहा प्रखण्ड में बिजली की स्थिति संतोषजनक नहीं है। जन्दाहा अवस्थित पाँच सब स्टेशन भी विभिन्न कारणों से कार्यरत नहीं है। जन्दाहा की दूरी भी कार्यरत ग्रिड सब स्टेशनों से अधिक है। इस कारण भी क्षेत्र के अन्य स्थानों में भी बिजली बाधित रहती है। जन्दाहा कृषि आधारित एक बड़ा क्षेत्र है। जहाँ बिजली की संतोषजनक व्यवस्था के लिए ग्रिड का निर्माण आवश्यक है। जन्दाहा के 10-15 कि०मी० की परिधि में कई पाँवर सब स्टेशन अवस्थित है। जन्दाहा में ग्रिड उन्हें एक सुदृढ़ श्रोत प्रदान करेगा। इस ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण पर लगभग 25 (पच्चीस) करोड़ रुपये व्यय होने की संभावना है।

2. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा वैशाली जिला अन्तर्गत जन्दाहा प्रखण्ड को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जन्दाहा में 132/33 के0मी० ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण के लिए राज्य योजना से 25 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में 5 (पाँच) करोड़ रुपये ऋण के रूप में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई है।

3. चूँकि यह राशि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, अतः वित्त विभाग के परिपत्र संख्या F/4/3881 दिनांक 07.07.1989 के अनुसार पुराने बकाये ऋण एवं सूद मद में 25 प्रतिशत की कटौती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय स्थिति को देखते हुए नहीं करने की छूट प्रदान की जाती है।

ऋण की अन्य शर्त निम्न प्रकार होगी:

- (क) ऋण एवं सूद का भुगतान 10 (दस) बराबर वार्षिक किस्तों में होगा। इसकी पहली किस्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारम्भ होगी।
- (ख) इस राशि पर 13 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।
- (ग) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत की दर से विलम्ब दण्ड सूद देय होगा।
- (घ) समय पर भुगतान करने पर ब्याज दर में 1/4 (चौथाई) प्रतिशत छूट होगी।

कृ०प०३०

9520200

203 / 28.07.2015

0303AR07-503 / E-Date: 28.07.2016

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

६८/२

ଉତ୍ତର ବିଜ୍ଞାନ

दिनांक:

607-

ऊर्ज विभाग

दिनांक

2/8/8/10

...रक्षा विभाग